देशभर में नए आपराधिक कानून प्रभावी हुए

बूंदी (निसं)। देशभर में एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। देशभर में अब इंडियन पीनल कोड यानि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए नई तकनीकों को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पीड़ित की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही न्याय वितरण में कानून प्रवर्तन की भूमिका को और मजबूत बनाता है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए आपराधिक कानून में नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कानूनी प्रक्रियाओं के पालन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की अनिवार्य रिकॉर्डिंग का प्रावधान है। जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी अपितु पीड़ित को शीघ्र न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अनावश्यक गिरफ्तारी पर रोक के प्रावधान को शामिल किया गया है। जिससे छोटे अपराधों में पुलिस द्वारा नोटिस दिया जाकर व्यक्ति को गिरफ्तारी से छूट प्रदान की जा सकेगी। केवल पुलिस हिरासत की अवधि बकाया होने के आधार पर जमानत से इनकार पर रोक का प्रावधान किया गया है। ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है। जिसमें व्यक्ति विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। भष्ट्राचार में लिप्त लोकसेवकों के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है, जो कदाचार के आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही में अनुचित देरी को रोकता है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवीन प्रावधान के तहत पहली बार के छोटे अपराध के विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत के प्रावधानों को और अधिक उदार बनाया गया है जिससे उन्हें गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। छोटा अपराध करने वाले प्रथम बार के अपराधियों को जुर्म स्वीकार करने पर सजा का एक चौथाई या छठा भाग तक की ही सजा दी जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का तथा पुनः समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

> ■ पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह के रूप में, लिंग वंश जाति समुदाय भाषा अथवा व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या किए जाने या गम्भीर चोट पहुंचाने पर ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया

भीड़ के रूप में उन्माद के द्वारा आम व्यक्तियों के द्वारा की गई गैर इरादतन हत्याओं की बढ़ती प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए मॉब लिचिंग पर अंकुश का प्रावधान किया गया है, जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह के रूप में, लिंग वंश जाति समुदाय भाषा अथवा व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या किए जाने या गम्भीर चोट पहूंचाने पर ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। विचाराधीन कैदियो के पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करने और अनावश्यक हिरासत हिरासत अवधि को कम करने के लिए प्रथम बार के अपराधी को निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई सजा काटने के बाद डिफाल्ट जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समयबद्ध तरीके से किए जाने वाले प्रमुख चरणों में प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त शिकायत को 3 दिन में दर्ज किया जाना। प्राथमिक जांच को 14 दिवस के भीतर संपन्न किया जाना, एफआईआर की प्रति तत्काल उपलब्ध करवाया जाना, चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन पुलिस को तत्काल मुहैया करवाया जाना, बलात्कार संबंधी मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिवस के भीतर प्रदान किया जाना, मुकदमें के अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट 90 दिन में प्रार्थी को दिया जाना, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिवस के भीतर आरोप तय किया जाना, मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय द्वारा विचरण योग्य मामले को 90 दिवस में सेशन न्यायालय को अंतरित किया जाना, अदालत में आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों के विरूद्ध उनकी अनुपस्थिति में एक तरफा सुनवाई आरम्भ किया जाना, न्यायालय द्वारा विचरण समाप्त होने के 45 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाना, न्यायालय द्वारा फैसले की तारीख के 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेट की कॉपी अपलोड किया जाना शामिल है।

महिलाओं एवं बच्चों को हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान

नया आपराधिक कानूनबलात्कार और यौन उत्पीडन के पीड़ितों को न्याय प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ ही महिला के विरूद्ध अपराधियों को और अधिक सख्त सजा दिलवाया जाना सुनिश्चित करता है। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के विरूद्ध अपराध के लिए गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें जघन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी सम्मिलित है। नए कानून में लोक सेवक के उत्तरदायित्व को महिला अपराधों के संबंध में और अधिक जिम्मेदार बनाया गया है। यदि लोक सेवक ब्लात्कार या महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीडन जैसे गंभीर अपराधों में दी गई किसी जानकारी को रिकार्ड करने में विफल रहता है तो उसके विरूद्ध दाडिंक कार्यवाही आरंभ किए जाने का प्रावधान किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए कानून में महिला की गिरफ्तारी सामान्यतः सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जाएगी। महिला की तलाशी शालीनता का ध्यान रखते हुए केवल महिला द्वारा ही ली जाएगी। किसी महिला के शरीर की जांच केवल महिला डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। किसी महिला के बयान यथा संभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा किसी महिला की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाएंगे। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का यौन अपराध के संबंध में बयान लिए जाते समय आरोपी से आमना सामना नहीं करवाया जाना चाहिए। ब्लात्कार और यौन अपराध की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी, खुली अदालत में नहीं। यौन अपराध संबंधी सुनवाई यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट या जज द्वारा की जाएगी। यौन अपराध पीड़िता को तत्काल निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यौन अपराध के अपराधी पर जो आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा वह पीड़िता के इलाज के लिए पीड़िता को दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नवीन आपराधिक विधि में अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाते हुए सजा के भय के बगैर विचारों को अभिव्यक्त करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाहियों को सुनिश्चित किया गया है, जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करते है। नए कानून में औपनिवेशिक सोच को समाप्त करते हुए राजद्रोह के कानूनी प्रावधान को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर देशद्रोह को स्थान दिया गया है जो स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करता है। संगठित अपराधों से निपटने के लिए नवीन प्रावधानों को जोड़ा गया है।

शपथ ग्रहण समारोह आज

कोटा, (निसं)। इनरव्हील महिलाओं की एक अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी संस्था है। भारत में 27 ज़िलों में 1200 क्लब और 44000 सदस्य हैं। डिस्ट्रिक्ट 305 सबसे पुराना है जिसमें 58 क्लब और 2199 सदस्य हैं। कोटा द्वारा प्रांत 305 की डिस्ट्रिक्ट असेंबली "मंथन-सहयोग में समृद्धि "3-4 जुलाई को कोटा की स्वाति गुप्ता डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का पद अपनी कार्यकारिणी के साथ ग्रहण करेंगी।

रावतभाटा राजस्थान साईट, एनपीसीआईएल
ईओआई आमंत्रण संख्या
आरआरसाईट/सीएसआर/2024-25/3

एन.पी.सी.आई.एल., आरआर साईट, सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं का प्रभाव आकलन के निष्पादन के लिए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट और स्वायत्त संगठन आदि से ईओआई आमंत्रित करती है। परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 13,75,000/- (रूपये तेहरा लाख पिहत्तर हजार) है। उपरोक्त क्षेत्र में अनुभव रखने वाले इच्छुक पक्ष www.npcil.nic.in से दस्तावेज डाउनलोड कर सकते है या अधोहस्ताक्षरी से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है। प्रस्ताव 20.07.2024 को 10.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
संबंधित व्यक्ति-श्री सुनीश सक्सेना, प्रोजेक्ट प्रभारी, आर आर साइट।
ईमेल sunishsaxena@npcil.co.in मोबाइल- 9413356828
CBC 48132/12/0005/2425

कार्यालय नगर पालिका मण्डल के. पाटन जिला बून्दी (राज.)
प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका के. पाटन
क्रमांक:-1366-68 लोक सूचना दिनांक-1.7.2024

श्री अमरलाल आ. बरधा निवासी ग्राम ईश्वरनगर तहसील-केशवराय पाटन, जिला बून्दी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्र
के. पाटन जिला बून्दी	ईश्वरनगर	919/567 रकबा 0.63 हैक्टर में से 657.20 वर्गमीटर भूमि	केशोराय पाटन

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 01.7.24 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका के. पाटन

काव्य गोष्ठी सम्पन्न

कोटा, (निसं)। हिंदी विभाग में साहित्यिक परिचर्चा के अन्तर्गत एक काव्यगोष्ठी रखी गई जिसमें शहर की मशहूर गजलकार, संस्मरणकार कृष्णा कमसिन अतिथि साहित्यकार के रूप में रही। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग़ज़ल को जो बारिशों के मौसम से जुड़ी है के बहाने से साहित्य की बात रखी। ग़ज़ल का मतला है 'बारिशों में भीग जाना इश्क है, गीत कोई गुनगुनाना इश्क है।' साहित्यकार और प्रोफेसर आदित्य कुमार गुप्त ने जीवन के प्रति गहरी आस्था को व्यक्त करते हुए गीत सुनाया जिसमें जीत के उस भाव को व्यक्त किया जो मनुष्य मात्र के भीतर होते हैं जरूरत बस उस भाव को जगाने की होती है। आदित्य कुमार गुप्त ने गीत 'हों समक्ष बाधाएं फिर भी जीत की आदत बनाना' पढ़ा।

एच.एम.एस.ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा

कोटा, (निसं)। हिन्द मजदूर सभा से संबंध थर्मल ठेकेदार वर्कर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मांग पत्र भेजकर आगामी बजट में महंगाई को देखते हुए ठेका श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 22000 रुपये प्रतिमाह करवाने की मांग की हे साथ ही पूर्व में घोषित की गई नई दर का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करके इसे लागू करवाने की मांग की है।

हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश सचिव एवं थर्मल ठेकेदार वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष आज़ाद शेरवानी ने बताया कि इस समय जो न्यूनतम मजदूरी मिलती हे वो इतनी कम है कि इस कमरतोड़ महंगाई में जी-तोड़ मेहनत करने के बाद भी उससे अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल है इसलिये न्यूनतम मजदूरी कम से कम 22000 रुपये प्रतिमाह की जानी चाहिये तथा थर्मल प्लांटों में वर्षों से लगातार कार्यरत ठेका श्रमिकों को सवेतन अवकाश, सालाना वेतन वृद्धि, बोनस, अवार्ड, समान काम समान वेतन इत्यादि का लाभ मिलना चाहिये और काम के दौरान हुई दुर्घटना पर ठेका श्रमिकों की जिम्मेदारी मुख्य नियोजक थर्मल प्रशासन को लेते हुए उचित मुआवजा देना चाहिये क्योंकि ठेकेदार हर साल बदल जाते हैं ये ठेका श्रमिक वर्षों से उत्पादन निगम की सेवा कर रहे है और फेक्ट्री एक्ट के तहत नियमित कर्मचारी के समान सुविधा और हित लाभ के हकदार है। सरकार असंगठित मज़दूरों के प्रति लापरवाह है सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों का सदा ध्यान रखती है और ठेका श्रमिकों की मजदूरी पर कोई ध्यान नहीं है केंद्र सरकार अपने ठेका श्रमिकों की महंगाई के अनुपात में हर साल मजदूरी बढ़ा देती है मगर राज्य सरकार इन मज़दूरों का शोषण कर रही हे दो-दो साल तक दरें नहीं बढ़ाती यदि घोषणा करती भी हे तो एक साल तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता 31 अगस्त 2023 को इंटेंशन अधिसूचना जारी कर ठेका श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की थी ये दरें 1 जनवरी 2023 से देय हे इंटेंशन आर्डर के बाद दस माह बीत गये हम सरकार को इस संदर्भ में कई पत्र भेज चुके हें मगर अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया हे जिससे मज़दूरों को बढ़ी हुई दर का भुगतान नहीं मिल पा रहा हे सरकार ये नोटिफिकेशन अविलम्ब लागू करवाये और आगामी बजट में ठेका श्रमिकों के हितलाभ भी शामिल किये जाये।

> ■ 'असंगठित मज़दूरों को भी बजट में मिले सहारा-इतनी कम मजदूरी से नहीं हो पा रहा गुजारा'

आई.एस.टी.डी. कोटा चैप्टर की आमसभा संपन्न

कोटा, (निसं)। आईएसटीडी कोटा चौप्टर की एनुअल जनरल मीटिंग निजि होटल में संपन्न हुई। जिसमें सत्र 2024-26 के नवीन कार्यकारणी की घोषणा गई। सदस्यों ने पूर्व में ई वोटिंग कर अपना मत संग्रहित कर दिया था आमसभा में नए कार्यकारिणी की घोषणा आईएसटीडी नई दिल्ली नेशनल प्रेसिडेंट अनीता चौहान ने की।

उन्होंने बताया कि कोटा सहित सभी 54 चैप्टर इस वर्ष ई-वोटिंग की गई थी। उन्होने बताया कि कोटा चैप्टर के अध्यक्ष के पद पर डॉ.अमित सिंह राठौड़, वाईस चेयरमैन डॉ के के कंजोलिया, सेक्रेटरी समीर भार्गव व ट्रेजरर विनय कचोलिया के नामों की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त चार मैनेजमेंट कमेटी व तीन नेशनल काउंसिल मेंबर्स का भी चयन किया गया। नव-निर्वाचित अध्यक्ष डॉ.अमित राठौड़ ने कहा कि कोटा जिले में सम्मेलन, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित का आयोजन कर प्रशिक्षण और विकास पेशेवरों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम चलाए जाएगे। प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में पेशेवरों का नेटवर्क भी बनाया जाएगा।

संकल्प पूरा होने पर बाल कटवाए

नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर संकल्प लेने वाले कार्यकर्ता ने बाल कटवाए।

कोटा, (निसं)। प्रदेश भाजपा कार्यालय मे रावतभाटा नगर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता बालकिशन गुलाटी के संकल्प पूर्ण होने पर बालों को उतारा गया।

पूर्व भाजपा नगर महामंत्री आनन्द प्रकाश शर्मा ने बताया की चार वर्ष पूर्व संकल्प लिया था नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तभी बाल कटाऊँगा। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी.पी.जोशी की उपस्थिति मे उनके बाल कटाए गये।

इस अवसर पर केबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, प्रदेश प्रभारी श्रवण सिँह राव, जिला महामंत्री रघु शर्मा,प्रदेश प्रवक्ता पिंकेश पोरवाल,दुष्यंत सिंह तोमर,महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तारा धाकड़, मुकेश सैनी, युवा मोर्चा के आशीष शर्मा रावतभाटा से पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार वधवा, जाट समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद जाट,पूर्व महामंत्री आनन्द प्रकाश शर्मा, हरीश राठौर, नगर महामंत्री दिनेश सेन, दिलीप मीणा, सिद्धार्थ वधवा, राहुल नायक, बिट्टू, सौरभ जैन, सूरत राम गुजर, महेंद्र, पवन सहित कार्यकर्त्ता उपस्थित थे।

रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव सम्पन्न, दिनेश जैन अध्यक्ष बने

कोटा, (निसं)। राजस्थान सरकार, भारत सरकार, बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन इत्यादि से सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक संस्था का गठन किया गया। जिसमें सभी सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी दिनेश जैन को अध्यक्ष चुना गया। दिनेश जैन पूर्व में राजस्थान एकांउटेंट्स एसोसिएशन जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष भी रह गए चुके हैं।

दिनेश जैन ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा केवल अपने हकों के लिए मांग करना ही नहीं अपितु अपने ज्ञान एवं अनुभव से समाज के गरीब एवं वंचित लोगों की सेवा एवं सहयोग करना होना चाहिऐं। साथ ही जीव दया का कार्य करना, पौधारोपण, मरीजों की सेवा, पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना, गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें तथा वस्त्र वितरित करना तथा अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखना भी होना चाहिऐं जो इस संस्था के भी प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। बैठक में आर.के. जैन सेवानिवृत्त सहायक महा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रवि गुप्ता सेवानिवृत्त चीफ मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक, अजय सोरल सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, अरविंद शर्मा साइंटिफिक ऑफिसर, परमानंद गोयल पूर्व राजस्व सलाहकार यूआईटी कोटा, महावीर जैन सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, दिनेश विजय, लक्ष्मण सिंह सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, बी.के.शर्मा सेवानिवृत्त इंजीनियर इत्यादि ने इस अवसर पर जैन को बधाई दी।

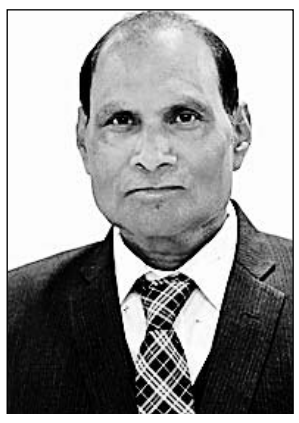

दिनेश जैन

नाम परिवर्तन

मेरे बड़े पुत्र खुशाल सिंह पूरावत व छोटे पुत्र करण पूरावत व पुत्री कुमकुम पूरावत के सभी सरकारी दस्तावेजों में पिता का नाम गलती से यशराज सिंह दर्ज हो गया है। जबकि पिता का सही नाम यशपाल सिंह है। भविष्य में इनके पिता का नाम यशपाल सिंह ही माना जावे।

यशपाल सिंह

नाम परिवर्तन

मैं पिंकी कंवर के सभी सरकारी दस्तावेजों में पति का नाम यशराज सिंह दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पति का सही नाम यशपाल सिंह है। भविष्य में पिंकी कंवर पत्नी यशपाल सिंह के नाम से ही जाना पहचाना जावे।

पिंकी कंवर पत्नी यशपाल सिंह

रोटरी क्लब पद्मिनी का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

कोटा, (निसं)। नेतृत्व केवल पुरस्कार है, दंड नहीं है। नेतृत्व को एक अवसर और विशेषाधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें डरना नहीं प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। जब आप नेतृत्व की कमान संभालते है तो साहस, दृढ़ संकल्प और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी की भावना का भी विकास होता है। यह बात मुख्य अतिथि आगामी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता ने रोटरी क्लब पद्मिनी का शपथ ग्रहण व आभार कार्यक्रम में कही।

प्रज्ञा मेहता ने महिला क्लब रोटरी पद्मिनी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह क्लब अपने आप में बेमिसाल है। उन्होने महिला लीडरशिप डेवलपमेंट की बात भी मंच कही। उन्होंने संगठनों में विविधता,नए दृष्टिकोण और विचार,समाज में समानता, रूढ़िवादी धारणाएं को तोड़कर आगे आने की बात कही। रोटरी के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की शिरकत से आपके विकास की कक्षा प्रारंभ करते है।

नवीन अध्यक्ष नीता मित्तल ने अपने उद्बोधन में मैजिक विद रोटरी की थीम के अनुसार सेवा कर्यों को वर्षभर गति देने की बात कही।उन्होंने बताया कि समारोह में क्बल की ओर से हरेकृष्ण मंदिर में 02 व्हील चेयर,01 जरूरतमंद को हियरिंग हेड, और 51 नजर के चश्मे भेंट किए।

कोटा में रोटरी क्लब पद्मिनी का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ।

क्लब सचिव गुरप्रीत आनंद ने बताया कि सेवा कार्यों की शुरुआत पौधरोपण, मोतियाबिंद ऑपरेशन और डॉक्टर व चार्टड के सम्मान से की गई थी। मंच संचालन रेणु दीपचंदानी व माधवी मित्तल किया। कार्यक्रम में आगामी गवर्नर प्रज्ञा मेहता, असिस्टेंट गवर्नर सुनीता काबरा, अध्यक्ष नीता मित्तल, सचिव गुरप्रीत आन्नद, पूर्व अध्यक्ष सुषमा बंसल एवं पूर्व सचिव दीप्ति राजावत मंचासीन रही। कार्यक्रम संयोजक ज्योति बियानी, सीमा मालपानी व नीना जैन रही। इस अवसर नए सदस्य कविता गौतम को रोटरी क्लब सदस्यता ग्रहण करवाई गई।

सेवा के प्रति जताया आभार:- इससे पूर्व गत सत्र की सचिव दीप्ति राजावत ने अपने वर्ष भी के कार्यों का डिजिटल प्रेजेंटेशन कर सेवा कार्य को गवर्नर व सदस्यों से रूबरू करवाया और तालियां बटोरी। गत सत्र अध्यक्ष सुषमा बंसल ने सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया।

एस.डी.पी. व ब्लड उपलब्ध कराया

कोटा, (निसं)। मरीज की पीड़ा को समझने वाली टीम जीवनदाता के प्रयासों से मरीजों की सेवा निरंतर जारी है, ऐसे में दुर्लभ से भी दुर्लभ ब्लड ग्रुप की एसडीपी और रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को देखने को मिला जब अस्पताल में भर्ती अनुसुईया को दो यूनिट ब्लड एवं एक एसडीपी की आवश्यकता थी। चिकित्सकों ने तुरंत अरेंजमेंट करने के लिए कहा। मरीज के परिजन भीमराज यहां वहां भटकते रहे लेकिन किसी भी ब्लड बैंक में उनकी व्यवस्था नहीं हुई, तब किसी ने टीम जीवनदाता के से संपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने भुवनेश गुप्ता को कॉल किया और उसके बाद सेवाभावी डोनर्स को कॉल करने का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले ही कॉल में उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे सेवाभावी सत्यवीर सारण को स्थिति की गंभीरता बताई तो वह सहज ही तैयार हो गए और सीधे ही अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और उन्होंने तीसरी बार एसडीपी डोनेट की है। वह इससे पूर्व 30 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। भुवनेश गुप्ता ने बताया कि मरीज के परिजनों को मरीज का ब्लड ग्रुप तक पता नहीं था, दूसरी ओर सत्यवीर महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे थे और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए थे, भुवनेश गुप्ता ने स्थिति की गंभीरता को बताया तो वह सीधे ब्लड सेंटर पहुंच गए।

कार्यालय सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा
क्रमांक:-एफ/प्रन्यास/देव/2024/1109
दिनांक: 5.6.24

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक प्रन्यास आर्य समाज रामपुरा कोटा का प्रन्यासियों में परिवर्तन किया जाकर प्रन्यास के लेखों में इन्द्राज हेतु परिवर्तन की सूचना राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या 8 में भरकर दिनांक 17.05.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अतः उक्त प्रन्यास में हित रखने वाले व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन में अपनी आपत्ति कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा में प्रस्तुत करें, वाद समय गुजरने पर आपत्ति मान्य नहीं होगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर के अधीन आज दिनांक 05.06.2024 को जारी की जाती है।

आगामी पेशी 09.07.2024

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1508 विज्ञप्ति दिनांक:-2.7.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम सोगरिया योजना दुर्गा नगर खसरा नं. 341 में स्थित भूखण्ड संख्या 16 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री सतीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री डालचन्द गुप्ता निवासी-मकान नं.481-बी, रेल्वे वर्कशॉप मैदान के पास, रेल्वे कोलोनी, कोटा जं.कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 883 दिनांक 27.09.2017 को श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री निरंजन कुमार जैन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2018 से उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नि श्री सतीश चन्द गुप्ता को किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता श्रीमती सीमा गुप्ता की मृत्यु दिनांक 13.10.2019 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत (1) वसीयत (2) शपथ पत्र एवं (3) मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः श्री सतीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री डालचन्द गुप्ता के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1509 विज्ञप्ति दिनांक:-2.7.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयानोहरा में स्थित कृषि भूमि योजना सैनिक कॉलोनी भूखण्ड संख्या 38 खसरा नं. 27 आवेदक/आवेदिका श्री सुरेश कुमार सेन पुत्र स्व.श्री केप्टन मिट्ठूलाल निवासी 38 सैनिक कॉलोनी मानपुरा, सैनिक पेट्रोल पम्प के पास बारां रोड जिला कोटा राज.द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 6812 दिनांक 16.10.2009 को श्री केप्टिन श्री मिट्ठूलाल पुत्र श्री बालूराम के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 20.06.2023 एवं पत्नि रामेश्वरी देवी की मृत्यु दिनांक 15.10.2019 को हो चुकी है। मृतक के वारिसान पुत्र सुरेश कुमार, राजेशराज सेन पुत्री किरण है। वारिसान राजेशराज सेन, किरण सेन द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 26.02.2024 से आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री सुरेश कुमार सेन पुत्र स्व.श्री केप्टन मिट्ठूलाल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1513 विज्ञप्ति दिनांक:-2.7.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी योजना पार्वतीपुरम खसरा नं. 133 में स्थित भूखण्ड संख्या एफ-1/बी के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री प्रहलाद गुर्जर पुत्र श्री भवाना लाल गुर्जर निवासी आई-5 पार्वतीपुरम कुन्हाडी, कोटा राज.द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या एफ-1 का पट्टा क्रमांक 10583 दिनांक 11.11.2011 को श्री विनिता शर्मा पत्नि श्री सुरेशचन्द शर्मा के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का उप-विभाजन आदेश क्रमांक 649 दिनांक 18.01.2022 को करवा लिया गया था। उप-विभाजन के पश्चात भूखण्ड संख्या एफ-1/बी को बैचान जर